International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 6.924 Volume 9, Issue 07, July 2022
Website- www.aarf.asia, **Email** : editoraarf@gmail.com

स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शैक्षिक गुणवत्ता के प्रति प्रशिक्षणार्थियों के अनुभव का विश्लेषण (जनपद गाजियाबाद के संदर्भ में)

डॉ0 ललित कुमार आर्य

पूर्व सीनियर एकेडमिक फैलो, आईसीएचआर, नई दिल्ली

डॉ0 अंशु शर्मा

पूव पोस्ट डॉक्टरल फैलो, आईसीएसएसआर, नई दिल्ली

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में गाजियाबाद जनपद के 5 महाविद्यालयों से 20–20 छात्रों को न्यायदर्श के रूप में लेकर स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शैक्षिक गुणवत्ता के प्रति प्रशिक्षणार्थियों के अनुभव का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है तथा निष्कर्ष पाया गया कि महाविद्यालय में भवन एवं पुस्तकालय सम्बन्धी उचित सुविधा नहीं है जिसके अभाव में गुणात्मकता प्रभावित हो रही है। विश्वविद्यालय द्वारा अभी और शिंकजा कसा जाना चाहिए ताकि उचित शुल्क ही लिया जाए तथा अवैध वसूली पर पूर्ण प्रतिबन्ध हो सके। महाविद्यालय में उचित अनुशासन है, किन्तु कहीं–कहीं अराजकता व्याप्त है। शिक्षकों की योग्यता न तो यू.जी.सी. के मानदंड के अनुरूप है और न हीं उनके शिक्षण व्यवहार से ही छात्राध्यापक सन्तुष्ट हैं,

प्रस्तावना

शिक्षा के सपरिचित चार स्तम्भों में शिक्षक का सर्वोपरि स्थान है, अन्य तीन स्तम्भ शिक्षाशास्त्र, वस्तुपरक और प्रतिबद्धता के नाम से जाने जाते हैं। एक प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षा की पूँजी है, जबकि अशिक्षित शिक्षक पूर्ण पाठन प्रक्रिया के लिए खतरा। स्वतन्त्रता के बाद से अध्यापक शिक्षा संस्थानों का संख्यात्मक विकास बड़ी तीव्रता से हुआ है। बड़ी संख्या में अध्यापक शिक्षा संस्थाएँ खोली जा चुकी हैं, इन शिक्षण संस्थाओं में शनैः–शैनः वृद्धि होती जा रही है। इक्कीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक के पूर्वार्द्ध से ही बड़ी संख्या में स्व–वित्तपोषित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। स्व–वित्तपोषित शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय संस्था के संसाधन की स्थिति हास्यापद है, छात्राध्यापकों से

© **Associationof Academic Researchers and Faculties (AARF)**
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित शुल्क 51250/– रुपए का ही शुल्क जमा कराया जाता है। छात्रावास, अधः संरचनात्मक सुविधा, आदि के नाम पर असीमित धनराशि वसूल की जाती है, महाविद्यालयों में निर्धारित योग्यता की अनदेखी कर शिक्षकों की नियुक्ति कर शिक्षण कार्य कराया जाता है। बी. एड. की मान्यता लेते समय जिन प्राध्यापकों का नाम रहता है वे प्राध्यापक प्रशिक्षण नहीं दे रहे होते हैं, क्योंकि वे किसी एक महाविद्यालय में प्रशिक्षण दे रहे होते और बी. एड. की मान्यता लेने हेतु सुविधा शुल्क लेकर अपनी योग्यता के बल पर मान्यता दिलवाते हैं। ये कागज में कई जगह प्राध्यापक होते हैं, महाविद्यालय में जो प्रशिक्षण दे रहे होते हैं उसमें तो कुछ की योग्यता बी.एड. भी हो, यह भो सन्देहाद है। इन्हें 8–12 हजार रु. के मानदेय पर रखकर प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इन्हें यह मानदेय भी 8 या 10 माह ही दिया जाता है।

आज उपभोक्तावादी संस्कृति ने पैसे को अत्यधिक महत्व दिया है जिसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ रहा है। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का था वह उससे विरत होकर अर्थोपार्जन में लग गया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्राध्यापक का भी मुख्य उद्देश्य केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करना हो गया है। उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया से प्रशिक्षण संस्थाओं पर बाहुबली धनपतियों का साम्राज्य छा गया है, जहाँ एक मात्र उद्दश्य धनोपार्जन है। शिक्षा प्रशिक्षण से सम्बन्धित संसाधनों का अभाव भी शिक्षा प्रशिक्षण को प्रभावशाली नहीं बनाता जिससे उनका शैक्षिक स्तर प्रभावित होता है। अतः शोधकर्ता के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि स्व–वित्तपोषित अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के शैक्षिक स्तर क प्रति छात्राध्यापकों के अनुभव विश्लेषण का अध्ययन किया जाए।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोधकर्ता ने निम्न उद्देश्य निर्धारित किए थे–

1. स्व–वित्तपोषित महाविद्यालय के सुविधाओं पर छात्राध्यापकों के भवनध्पुस्तकालय सम्बन्धी अनुभव का अध्ययन करना।
2. स्व–वित्तपोषित महाविद्यालय के शुल्क के सम्बन्ध में छात्राध्यापकों के अनुभाविचारों का अध्ययन करना।
3. स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों के अनुशासन के सम्बन्ध में छात्राध्यापकों के विचारों का अध्ययन करना।
4. स्व–वित्तपोषित महाविद्यालय के प्राध्यापकों की योग्यता के सम्बन्ध में छात्राध्यापकों के विचारों का अध्ययन करना।

शोध का प्रकार

प्रस्तुत अध्ययन विवरणात्मक प्रकार अनुसन्धान है।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन सर्वेक्षणात्मक विधि द्वारा किया गया है ।

समष्टि

प्रस्तुत अध्ययन की समष्टि उत्तर प्रदेश के समस्त स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों के छात्राध्यापक थे।

न्यादर्श

गाजियाबाद जनपद क पाँच स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों से प्रत्येक से 20–20 छात्राध्यापकों का चयन यादृच्छिक प्रविधि से किया गया है।

शोध उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में स्व–निर्मित प्रतिबन्धित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया जिसमें स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों की भवन पुस्तकालय, प्रवेश शुल्क, अनुशासन, शिक्षकों की योग्यता से सम्बन्धित 40 कथन निर्मित किए गए थे जिन्हें विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, प्राचार्यों आदि को दिखाने गए थे, जिसमें 20 कथनों पर 70 प्रतिशत से अधिक लोगों ने सहमति जताई थी। प्रश्नावली के कथन हाँ नहीं पर थे जिनके बीच परीक्षण प्रतिशत मान द्वारा ज्ञात करना था प्रश्नावली छात्राध्यापकों द्वारा भरवाई गई थी।

तालिका–1

स्व–वित्तपोषित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शैक्षिक स्तर के प्रति छात्राध्यापकों के अनुभवों के प्रतिशत मान की तालिका

क्रम सं0	कथन	छात्राध्यापकों का प्रतिशत	
		हाँ	नहीं
	भवन पुस्तकालय सम्बन्धी		
1	आपके महाविद्यालय में शिक्षा संकाय अलग से निर्मित है।	45	55
2	आपके महाविद्यालय में शिक्षण कक्ष की पर्याप्त सुविधा है।	32	68
3	आपके बी.एड. विभाग में बैठने हेतु समुचित व्यवस्था है।	35	65
4	आपके महाविद्यालय के पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करने की सुविधा है।	15	85
5	आपके महाविद्यालय के पुस्तकालय में पाठ्यक्रम से	34	66

	सम्बन्धित पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं		
	शुल्क सम्बन्धी		
6	आपके महाविद्यालय में प्रवेश के समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही जमा कराई गई है।	00	100
7	महाविद्यालय द्वारा आपसे भवन निर्माण हेतु सुविधा शुल्क जमा कराया गया है।	100	00
8	आप द्वारा महाविद्यालय में अनुपस्थित रहने पर सुविधा शुल्क जमा कराया जाता है।	08	92
9	आपको छात्रावास में रहने तथा मेस सुविधाओं के लिए बाध्य किया गया है।	15	85
10	अधः संरचनात्मक (भवन, बिजली, फर्नीचर) व्यवस्थाओं हेतु आपसे अलग से शुल्क जमा कराया गया है।	65	35
	अनुशासन सम्बन्धी		
11	आपकी सभी विषयों की कक्षाएँ नियमित रूप से चलती है।	22	88
12	आपके सभी शिक्षक नियमित रूप से शिक्षण कार्य करते हैं।	60	40
13	आपके प्राचार्य का अनुशासनात्मक व्यवहार विद्यालय परिसर में प्रभावी है।	33	67
14	आपके प्राचार्य शिक्षण काल में कक्षाओं का निरीक्षण करते हैं।	06	94
15	आपके प्राचार्य का अनुशासनात्मक व्यवहार विद्यालय के शैक्षिणक गतिविधियों के अनुरूप है।	31	69
	शिक्षकों की योग्यता		
16	शिक्षा संकाय के सभी व्याख्याता यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित योग्यता मानदंड की परिधि के अन्तर्गत आते हैं।	05	95
17	शिक्षण के दौरान आप लोगों द्वारा उठाए गए प्रश्नों	12	88

	का तथ्यपरक उत्तर दिया जाता है।		
18	आप अपने व्याख्याताओं के शिक्षण कार्य से सन्तुष्ट हैं।	26	74
19	आपके व्याख्याताओं का छात्राध्यापकों पर समुचित नियन्त्रण रहता है।	19	81
20	आपके व्याख्याताओं का कक्षा–शिक्षण व्यवहार प्रजातान्त्रिक है।	27	73

प्रयुक्त सांख्यिकी तकनीक

प्रस्तुत शोध कार्य में शोधकर्ता ने किसी अन्य सांख्यिकी का प्रयोग न करके केवल प्रतिशत मान का प्रयोग किया है–

शोध सीमाएँ– सूत्र – प्रतिशत = हाँ/नहीं की संख्या/सम्पूर्ण संख्या × 100

प्रस्तुत अध्ययन के लिए जनपद गाजियाबाद के पाँच स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों में प्रत्येक से 20–20 छात्राध्यापकों को सम्मिलित किया गया है।

व्याख्या एवं विश्लेषण

तालिका–2

भवन/पुस्तकालय, प्रवेश शुल्क, अनुशासन, व्याख्याता की योग्यता से सम्बन्धित छात्राध्यापकों के विचारों की औसत प्रतिशत मान की तालिका।

क्रम सं0	कथन	प्रतिशत का औसत मान	
		हाँ	नहीं
1.	भवन/पुस्तकालय से सम्बन्धित कथन	32.2	67.8
2.	प्रवेश शुल्क से सम्बन्धित कथन	37.6	62.4
3.	अनुशासन से सम्बन्धित कथन	30.1	69.9
4.	शिक्षकों की योग्यता स सम्बन्धित कथन	17.8	82.2

उपरोक्त तालिका में प्राप्त औसत मान से स्पष्ट है कि भवन/पुस्ताकलय सम्बन्धी कथनों पर 32.2 प्रतिशत छात्राध्यापकों ने हाँ में उत्तर दिया है तथा 67.8 प्रतिशत छात्राध्यापक नहीं में औसत प्रतिशत मान आया है अर्थात् महाविद्यालय में भवन एवं पुस्तकालय सम्बन्धी उचित सुविधा नहीं है जिसके अभाव में गुणात्मकता प्रभावित हो रही है। अतः प्रबन्धतन्त्र को चाहिए कि भवन व पुस्तकालय की उचित व्यवस्था करे।

शुल्क सम्बन्धी कथनों पर 37.6 प्रतिशत छात्राध्यापकों ने हाँ में तथा 62.4 प्रतिशत छात्राध्यापकों ने नहीं में औसत प्रतिशत मान आया है अर्थात् 62.4 प्रतिशत छात्राध्यापक स्वीकार करते हैं कि महाविद्यालय में अनियमितापूर्वक अवैध शुल्क वसूली नहीं की गई है। किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा अभी और शिंकजा कसा जाना चाहिए ताकि उचित शुल्क ही लिया जाए तथा अवैध वसूली पर पूर्ण प्रतिबन्ध हो सके।

अनुशासन सम्बन्धी कथनों पर 30.1 प्रतिशत छात्राध्यापक हाँ में तथा 69.9 प्रतिशत छात्राध्यापक नहीं में औसत प्रतिशतमान आया है अर्थात् महाविद्यालय में उचित अनुशासन है, किन्तु कहीं–कहीं अराजकता व्याप्त है। अतः प्राचार्य व अनुशासनाध्यक्ष/ प्राक्टर को इस ओर ध्यान देकर महाविद्यालय में और अच्छा अनुशासन कायम रखना चाहिए।

शिक्षकों की योग्यता सम्बन्धी कथनों पर 17.8 प्रतिशत हाँ में तथा 82.2 प्रतिशत नहीं में औसत मान आया है। स्पष्ट है कि शिक्षकों की योग्यता न तो यू.जी.सी. के मानदंड के अनुरूप है और न हीं उनके शिक्षण व्यवहार से ही छात्राध्यापक सन्तुष्ट हैं, अर्थात् कागज पर व्याख्याता कोई और शिक्षण कार्य कोई और कर रहा है। इस अनियमिता को राज्य सरकार व विश्वविद्यालय को दूर करना चाहिए।

शोध निष्कर्ष

उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि स्व–वित्तपोषित शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालयों में छात्राध्यापकों से केवल धन वसूलने का केन्द्र बन गया है, जहाँ पर न तो प्रशिक्षण से मतलब है न ही सुविधाओं से केवल एक मात्र उद्देश्य धनोपार्जन का रह गया है अतः इन संस्थाओं में न केवल छात्राध्यापकों का शोषण होता है बल्कि शिक्षक भी व्यापक पैमाने पर शोषण का शिकार हो रहे हैं। शिक्षक के संदर्भ तो मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी संस्थायें व समय–समय पर गठित निगरानी पैनल की स्थिति नगण्य है। शिक्षक की दशा–दिशा दयनीय है तथा वर्तमान तक भी इसमें कोई सुधार नहीं हो पाया है।

1. स्व–वित्तपोषित बी.एड. की संस्थाओं की मान्यता प्रदान करने में कड़ाई होनी चाहिए। ढिलाई ही विसंगति की जननी है।
2. प्रबन्धक एवं शिक्षा प्रशासन को सभी उपकरण उपलब्ध कराना चाहिए उनका प्रयोग छात्रों द्वारा होना चाहिए। शिक्षक भी उनका प्रयोग करके शिक्षण काय करें। इसकी यथार्थता की जाँच विश्वविद्यालय प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा तथा एन.सी.टी.ई. द्वारा ईमानदारी से होना चाहिए।
3. छात्रों को कक्षा में आने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। निर्धारित उपस्थिति न रहने पर परीक्षा में बैठने से रोकने की कार्यवाही होनी चाहिए । अर्थदण्ड लेकर परीक्षा में बैठाया नहीं जाना चाहिए।

4. मासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा अवश्य होनी चाहिए।
5. छात्रों की पढ़ाई से सन्तुष्ट करने के लिए योग्य शिक्षक रखना चाहिए। शिक्षण कार्य को प्रयोग एवं उपकरण आधारित बनाना चाहिए। इसके लिए विद्यालय प्रशासन को स्वैच्छिक संकल्प लेना होगा। छात्र हित को, गुणवत्ता वृद्धि को सर्वेपरि रखना होगा।
6. रूल को रूतबे, रूपये के प्रभाव से दूर रखना होगा।
7. एन0सी0टी0ई0 के अनुसार प्रत्येक तीसरे माह औचक निरीक्षण करना होगा।
8. औचक निरीक्षण में तीन सदस्य सहायता प्राप्त महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ स्ववित्तपोषित संस्थान में से व एक विश्वविद्यालय अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी होने चाहिए।

शैक्षिक निहितार्थ

स्व–वित्तपोषित शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालयों की ओर शासन सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए जिससे भवन/पुस्तकालय सम्बन्धी सुविधाएँ, छात्राध्यापकों को प्राप्त हो सके। उनसे उचित शुल्क लिया जाए, विद्यालय में अनुशासन बना रहे एवं उचित योग्यताधारी ही शिक्षक–शिक्षण कार्य करें जिससे विद्यालय का शैक्षिक स्तर प्रभावी बना रहे। यदि ऐसा प्रबन्ध तन्त्र द्वारा न किया जाए तो महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने की अनुसंशा की जाए।

सन्दर्भ

1. कुरुक्षेत्र, मासिक पत्रिका सितम्बर 2000 ग्रामोण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार।
2. कुरुक्षेत्र, मासिक पत्रिका नवम्बर 2006 ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार।
3. कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका नवम्बर 2007 ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार।
4. डॉ. राम प्रताप सिंह, ''वर्तमान परिवेश में शिक्षक–शिक्षा की चुनौतियाँ'' राष्ट्रीय संगोष्ठी 25–26 नवम्बर, दयानन्द वैदिक पी. जी. कॉलेज उरई जालौन।
5. राम नेवाज सिंह, ''उच्च शिक्षा में अध्यापकों की दिशा एवं दशा,'' राष्ट्रीय संगोष्ठी 18–19 नवम्बर, 2006, जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलज, इलाहाबाद।